

झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख—रेख)

दिशानिर्देश, 2023

(संस्थागत देख—रेख छोड़कर जाने वाले बालकों के लिए ऑफ्टरकेयर / पश्चात्वर्ती देख—रेख दिशानिर्देश) 2023



महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था)

झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख—रेख) दिशानिर्देश, 2023

(संस्थागत देख—रेख छोड़कर जाने वाले बालकों के लिए ऑफ्टर केयर/पश्चात्वर्ती देख—रेख दिशानिर्देश)

विषयसूची

अध्याय 1 – परिचय

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 संक्षिप्त शीर्षक
- 1.3 ऑफ्टरकेयर की आवश्यकता
- 1.4 ऑफ्टरकेयर के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत
- 1.5 परिभाषाएँ
- 1.6 ऑफ्टरकेयर के लिए पात्रता
- 1.7 ऑफ्टरकेयर की अवधि
- 1.8 ऑफ्टरकेयर दिशानिर्देश में छूट और व्याख्या

अध्याय 2 – ऑफ्टरकेयर स्विधाएँ और सेवाएँ

- 2.1 ऑफ्टरकेयर के चरण
- 2.2 ऑफ्टरकेयर के अंर्तगत सेवाएं और सहायता
- 2.3 अतिरिक्त सहायता
- 2.4 परिवार के साथ एकीकरण
- 2.5 निवास / आवास
- 2.6 शैक्षिणिक सुविधाएँ
- 2.7 व्यवसायिक प्रशिक्षण
- 2.8 कौशल विकास
- 2.9 रोजगार संबंधी सहायता
- 2.10 स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएँ
- 2.11 मानसिक स्वास्थ्य
- 2.12 स्वतंत्र जीवन यापन कौशल
- 2.13 विधिक सहायता साक्षरता एवं परामर्श
- 2.14 मेंटर सपोर्ट
- 2.15 सामाजिक सहयोग और ऑफ्टरकेयर नेटवर्क या संघों का गठन

अध्याय 3 – ऑफ्टरकेयर की प्रक्रियाएं

- 3.1 प्लेसमेंट पूर्व सेवाएं
- 3.2 प्लेसमेंट उपरांत सेवाएं
- 3.3 अनुवर्ती सेवा, पर्यवेक्षण और निगरानी
- 3.4 वित्तीय मानदड
- 3.5 ऑफ्टरकेयर सेवा की समाप्ती

अध्याय 4 – हितधारकों / प्राधिकरणों और एजेंसियों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

- 4.1 महिला, बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का उत्तरदायित्व
- 4.2 झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.3 झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.4 बाल देख-रेख संस्थानों की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.5 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.6 बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.7 विधिक सेवा संस्थान की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.8 ऑफ्टरकेयर सेवा प्रदाताओं की भूमिका और उत्तरदायित्व

अनुलग्नक 1 : यक्तिगत ऑफ्टरकेयर योजना (आईएसीपी) का प्रारूप

अनुलग्नक 2 : प्रत्येक बच्चे के लिए प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप और रखे जाने वाले रिकॉर्ड

अनुलग्नक 3 : ऑफ्टरकेयर समापन चेकलिस्ट

अध्याय 1 - परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

"झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख—रेख) दिशानिर्देश, 2023" किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 46 के प्रावधानों, झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) नियम 2017, ऑफ्टर केयर मॉडल दिशानिर्देश 2018, मिशन वात्सल्य योजना 2022, तथा किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) मॉडल नियम 2022 के वर्णित प्रावधानों को संदर्भित कर तैयार किया गया है।

1.2 संक्षिप्त शीर्षक :--

इस दिशानिर्देश को "झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चातवर्ती देख-रेख) दिशानिर्देश, 2023" कहा जायेगा।

1.3 ऑफ्टर केयर दिशानिर्देश का मुख्य उद्देश्य :--

- बाल देख—रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को आवश्यकतानुरूप सहयोग और सेवा प्रदान कर उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर वयस्कता में प्रवेश करने पर बाल देख—रेख संस्थानों को छोड़ने के लिए तैयार करना, ताकि वे स्वतंत्र वयस्क के रूप में समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर अपना जीवन यापन कर सकें।
- राज्य में ऑफ्टर केयर देख—रेख की एक मजबूत व प्रभावी तंत्र की स्थापना एवं तदनुरूप आवश्यक सेवाओं / सहयोग की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

1.4 ऑफ्टर केयर की आवश्यकता :--

विषम परिस्थितियों की वजह से अनेक बच्चों को बाल देख—रेख संस्थानों सिहत विभिन्न वैकित्पक देख—रेख व्यवस्थाओं में अपना बचपन गुजारना पड़ता है। किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् बच्चों को संस्थागत देख—रेख से बाहर आना है। यह सर्वविदित है कि बच्चों की यह अवस्था उनके व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऑफ्टरकेयर सेवा आवश्यक है, क्योंकि यह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत बच्चों को देख—रेख ढांचे की निरंतरता के अंर्तगत अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का उपयोग कर समाज की मुख्यधारा में सुस्थापित कर स्वतंत्र जीवन यापन करने में सहयोग एवं आवश्यकतानुरूप उसका मार्गदर्शन करती है।

1.5 ऑफ्टर केयर के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत :--

- क. युवाओं के संबंध में सभी निर्णय ''उनके सर्वोत्तम हित'' के मूल सिद्धान्त पर आधारित और उनमें पूर्ण क्षमता विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए होंगे। सभी ऑफ्टर केयर प्रावधानों और प्रक्रियाओं के निर्धारण में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जायेगा।
- ख. सभी ऑफ्टर केयर प्रावधानों और प्रक्रियाओं में व्यक्तित्व, परिस्थितियों, पृष्ठभूमि और अन्य कारकों यथा लिंग, आयु, परिपक्वता, दिव्यांगता, शैक्षिक और व्यावसायिक कौशल, प्रतिभा, मानसिक स्वास्थ्य, अन्य विशेष परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखा जायेगा। अल्प और अतिअल्प बौद्धिक दिव्यांगजन सहित अन्य दिव्यांग युवाओं लिए ऑफ्टर केयर सहायता उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।
- ग. युवाओं को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी। युवाओं को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में उनकी सलाह ली जायेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए ऑफ्टर केयर की आगामी योजना तैयार की जायेगी।

घ संस्थागत देख—रेख, वैकल्पिक देख—रेख व्यवस्था का अंतिम विकल्प है। यथासंभव प्रयास किया जायेगा कि युवाओं को परिवार आधारित देख—रेख व्यवस्था से जोड़ा जा सके और मात्र वैसे युवा जिन्हें समुचित प्रयासों के बाद भी परिवार आधारित देख—रेख व्यवस्था से नहीं जोड़ा जा सकता, वे ही संस्थागत देख—रेख में रहें।

1.6 परिभाषाएं :-

जब तक इन दिशानिर्देशों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- 1. 'अधिनियम' का अर्थ है किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021।
- 2. 'युवा' का अर्थ एक वयस्क व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
- 3. 'ऑफ्टर केयर' का अर्थ है, बाल देख—रेख संस्थानों में आवासित 18 वर्ष से 21 वर्ष के युवा, जिन्होंने संस्थागत देख—रेख को छोड़ दिया है अथवा उससे बाहर निकलने वाले हैं, के लिए वित्तीय या अन्य सहायता का प्रावधान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार करना। इसमें स्थानीय सामुदायिक जीवन में भागीदारी के माध्यम से सामाजिक और जीवन कौशल प्राप्त करने और व्यवस्थित रूप से उन्हें आत्मिर्नर्भरता और समाज के मुख्यधारा में समावेश के लिए सक्षम करने हेतु देख—रेख सेवाओं की निरंतर और श्रृंखलाबद्ध सहयोग के प्रावधान शामिल हैं।
- 4. 'बाल देख—रेख संस्थान' (सीसीआई) का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित "देख—रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले" बच्चों के लिए संचालित बाल गृह, ओपन शेल्टर, संप्रेक्षण गृह, विशेष वत्तक—ग्रहण एजेंसी (स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी), प्लेस ऑफ सेफ्टी, फिट फैसिलिटी और समूह फोस्टर केयर है।
- 5. ''व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना' (आईएसीपी) से तात्पर्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वतंत्र जीवनयापन के लिए तैयार करने हेतु उनकी उम्र, लिंग, विशिष्ट आवश्यकताओं और बचपन के इतिहास पर आधारित उनके परामर्श से तैयार की गई व्यक्तिगत व्यापक विकास योजना है।
- 6. 'मुख्यधारा' का अर्थ उस अवस्था से है जिसके दौरान युवा स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए स्वतंत्र रूप से समाज में जीवनयापन करने में सक्षम होता है।
- 7. 'सामुदायिक सामूहिक आवास' से तात्पर्य अधिकतम 08 युवाओं के ऑफ्टर केयर सेवा हेतु मेंटर के देख—रेख में किसी भी अस्थाई आवास से हैं जो कि एक निजी अथवा सरकारी छात्रावास भी हो सकता है। यह एक फिट फैसिलिटी में परिवार जैसी देख—रेख व्यवस्था होगी।
- 8. 'मेंटर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है, जो मुख्यधारा और स्वावलम्बी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की स्वैच्छिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।
- 9. 'डीआईसी' का अर्थ जिला स्तरीय निरीक्षण समिति है जो किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 54 के अंर्तगत सभी पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए बनाई गई है।
- 10. 'एसीओ (After Care Organization) का अर्थ है युवाओं के लिए ऑफ्टर केयर सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा समर्थित अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित एक संस्थान/गृह।

इस दिशानिर्देश में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो किशोर न्याय अधिनियम या नियमों और मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देश में वर्णित / परिभाषित किया गया है।

1.7 ऑफ्टर केयर के लिए पात्रता :-

- 1.7.1 एक बच्चे (देख—रेख और संरक्षण की आवश्यकता या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे) के रूप में वैकल्पिक देख—रेख के किसी भी औपचारिक व्यवस्था में संरक्षित 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा, जिसे सहयोग की आवश्यकता है।
- 1.7.2 राज्य सरकार के प्रायोजन अथवा पालन—पोषण देख—रेख योजना के अंर्तगत आच्छादित गैर संस्थागत देख—रेख में रहने वाले बच्चे जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है या उल्लिखित योजनाओं के तहत आच्छादित रहा है या दिव्यांगता से ग्रिस्त है या बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम इत्यादि से मुक्त कराये गये बच्चे या बच्चे की अध्यक्षता वाला परिवार, पीएम केयर्स योजना के बच्चे अथवा ऐसा परिवार जिसमें कोई वयस्क नहीं है या यौन शोषण के पीड़ित बच्चे जिन्होंने अब 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया है।
- 1.7.3 परिवार आधारित वैकल्पिक देख—रेख व्यवस्था में संरक्षित बच्चे के परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 85,000.00 रूपये से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में रू 96,000.00 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

1.8 ऑफ्टर केयर देख-रेख की अवधि :-

- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अधिकतम तीन वर्षों और विशेष परिस्थिति में 23 वर्ष की आयु तक या युवाओं को समाज में मुख्यधारा में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक की अविध के लिए ऑफ्टर केयर सहायता प्रदान की जायेगी।
- विशेष परिस्थिति, युवा की व्यक्तिगत परिस्थिति, मानसिक आयु (नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित), विशेष आवश्यकता, दिव्यांगता और युवाओं के कौशल को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति अनुरूप इसे बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, या बाल न्यायालय द्वारा अविध विस्तार हेतु लिखित में दर्ज कारणों के आधार पर 02 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।

1.9 ऑफ्टर केयर दिशानिर्देशों में छूट और व्याख्या :--

- क. यह दिशानिर्देश मौजूदा विधिक प्रावधानों के संबंध में तैयार किया गया है और व्याख्या के लिए प्रासंगिक कानून को संदर्भित किया गया है।
- ख. अस्पष्टता या किसी विवाद के मामले में, इन दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने और व्याख्या करने की शक्ति महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पास होगी।
- ग. भारत सरकार द्वारा या संबंधित अधिनियम अथवा नियम में बदलाव तत्काल प्रभाव से इस दिशानिर्देश में लागू होंगे।

अध्याय 2 – ऑफ्टर केयर सुविधाएँ और सेवाएँ

2.1 ऑफ्टर केयर के चरण :-

ऑफ्टर केयर में युवाओं को परिवार आधारित देख—रेख व्यवस्था से जोड़ना प्राथमिकता होगी। ऑफ्टर केयर में निम्नलिखित तीन चरण अनिवार्यतः शामिल होंगेः

क. प्री प्लेसमेंट :-

- संस्थान के बाहर जीवन यापन की तैयारी (यथाशीघ्र या 14 वर्ष के पश्चात् या मामले के अनुरूप निर्धारित)।
- स्वतंत्र रूप से जीवन यापन की तत्परता की तैयारी (17 से 18 वर्ष के बीच)।

ख. ऑफ्टर केयर में प्लेसमेंट :-

ऑफ्टर केयर के दौरान वित्तीय और परामर्श, रेफरल, लिंकेज और नेटवर्क के लिए सहयोग।

ग. अनुवर्ती कार्रवाई :--

मुख्यधारा में समावेशीकरण के लिए ऑफ्टर केयर सहायता समाप्ति के उपरान्त दो वर्ष तक अनुवर्ती कार्रवाई।

2.2 ऑफ्टर केयर के अंर्तगत सेवाएं और सहायता :--

ऑफ्टर केयर के अंर्तगत निम्नलिखित के लिए परामर्श, रेफरल, लिंकेज और नेटवर्क के लिए सहयोग शामिल हैं— निवास/आवास, अग्रेतर/उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां, परामर्श, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, जीवन कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक नेटवर्क, पारिवारिक परामर्श व सशक्तिकरण, मेंटर का सहयोग, विधिक और वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, नौकरी की तैयारी और रोजगार, ऋण और सब्सिडी। इसके अतिरिक्त परिवार के साथ पुनर्मिलन, विधिक सहायता और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच के लिए सहयोग भी दिया जायेगा।

2.3 अतिरिक्त सहायता :-

क. मादक द्रव्यों के सेवन वाले युवाओं के लिए विशेष पेशेवर परामर्श सेवाएं, नशामुक्ति सेवाएं और कार्यक्रम। ख. सभी युवाओं को सहयोग राशि से न्यूनतम बीमा (स्वास्थ्य / जीवन) लेना होगा।

2.4 परिवार के साथ पुनः जुड़ाव :--

सभी युवाओं को उनके जैविक परिवार अथवा रिश्तेदारों के साथ पुनः जुड़ाव में आवश्यक सहयोग प्रदान करना हितधारकों की पहली प्राथमिकता होगी।

वैसे युवा, जिन्हें उनके परिवार में वापस नहीं भेजा जा सकता और जो व्यक्तिगत मूल्यांकन में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर जीवन यापन करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, उन्हें उनके संबंधियों / रिश्तेदारों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

उरोक्त दोनों के संभव नहीं होने पर 'स्वतंत्र जीवन' के विकल्प पर विचार किया जायेगा। इन सभी के संभव नहीं होने 'सामुदायिक सामूहिक' आवास को प्राथमिकता दी जायेगी। उनके लिए ऑफ्टर केयर सहायता, कंडिका 2.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध कराई जायेगी।

यदि संस्थागत देख—रेख में रहने वाले बच्चे का मूल आवासीय जिला ज्ञात है तो बच्चे को मूल आवासीय जिला में प्रत्यावर्तित करने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्यावर्तन के बाद मूल आवासीय जिला द्वारा ऑफ्टर केयर सहायता प्रदान की जायेगी।

2.5 निवास / आवास :--

उन युवाओं के लिए जिन्हें परिवार में वापस नहीं भेजा जा सकता है और जो व्यक्तिगत मूल्यांकन में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु सक्षम नहीं पाए जाते हैं, वे सामुदायिक सामूहिक आवास में आवासन कर सकते हैं। दिव्यांग युवाओं के लिए दिव्यांगता अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जायेगा, इसके लिए दिव्यांगजनों की संस्था और निबंधित दिव्यांगजनों के अभिभावक समूह को रियायत और प्राथमिकता दी जायेगी।

- 2.5.1 उपयुक्त सुविधा के अंर्तगत किसी एक छात्रावास, निजी लॉज अथवा सामुदायिक सामूहिक आवास में अधिकतम 08 युवाओं को आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 2.5.2 प्रत्येक छात्रावास, निजी लॉज अथवा सामुदायिक सामूहिक आवास को किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण सिमिति, या बाल न्यायालय द्वारा सुविधा की उपयुक्तता की उचित जाँच/समीक्षा के पश्चात् मान्यता दी जायेगी।
- 2.5.3 ऑफ्टर केयर संगठन / गैर सरकारी संस्थान उपयुक्त सुविधा के अंर्तगत 6 से 25 दिव्यांग युवाओं के लिए ऑफ्टर केयर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे ऑफ्टर केयर संगठन / गैर सरकारी संस्थान को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- 2.5.4 लड़कों और लड़िकयों के लिए अलग—अलग देख—रेख की सुविधा होगी लेकिन धर्म, जाति, भाषा, दिव्यांगता, मानसिक क्षमता आदि के आधार पर कोई अलगाव नहीं होगा। ऑफ्टर केयर निवास बाल गृह परिसर के किसी अलग भवन में अलग कमरे में भी हो सकता है परन्तु प्राथमिकता अलग परिसर को दी जायेगी।

2.6 शैक्षणिक सुविधाएँ :-

ऑपटर केयर से आच्छादित युवाओं को अग्रेतर / उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी रुचि के आधार पर, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) कार्यक्रम या किसी भी सतत् शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए परामर्श / लिंकेज सहायता प्रदान की जा सकती है। युवा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप राष्ट्रीय बाल कोष, केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ भी उठा सकते हैं।

- 2.6.1 युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा या रियायती शिक्षा के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए जाएंगे।
 - अग्रेतर / उच्च शिक्षा शैक्षणिक सहयोग, आर्थिक सहायता, ऋण, सब्सिडी एवं उद्यमशीलता गतिविधि से संबंधित प्रोत्साहन एवं परामर्श।
 - अंग्रेजी बोलने / कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़ाव हेतु जानकारी प्रदान करना।

2.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण :--

युवाओं को सरकार द्वारा संचालित या समर्थित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले में रियायत और प्राथमिकता के लिए झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा संबंधित विभाग को अनुशंसा की जायेगी। व्यावसायिक एजेंसियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलीटेकनिक कॉलेजों और विभिन्न कॉरपोरेट्स, तकनीकी संस्थानों द्वारा उक्त अनुशंसा पर युवाओं को उपयुक्त व्यवसाय में शामिल होने या प्रमाणित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसमें कौशल विकास के लिए युवा मामलों, श्रम विभाग, आजीविका मिशन और अन्य एजेंसियों के साथ अभिसरण शामिल हो सकता है।

2.8 कौशल विकास :--

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, कौशल विकास मिशन, झारखण्ड राज्य आजीविका मिशन और केन्द्र और राज्य सरकार के अन्य कौशल विकास योजनाओं / संस्थान से जोड़कर युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। रोजगारपरक कौशल विकास के साथ व्यक्तित्व विकास और प्रस्तुति कौशल पर भी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। कौशल विकास मिशन द्वारा न्यूमतम उम्र में रियायत देते हुए चयनित बच्चों को 17 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है। व्यक्तित्व विकास के निम्नलिखित योग्यता विकसित करने लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2.9 रोजगार संबंधी सहायता :--

रोजगार सहायता के अन्तर्गत योग्यतानुरूप युवाओं के कौशल, रुचि और व्यवसाय पर आधारित रोजगार के उपलब्ध अवसरों से सहबद्धता शामिल होगी।

- 2.9.1 गुणवत्तापूर्ण इंटर्नशिपः मेंटर द्वारा इंटर्नशिप खोजने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात् युवाओं को किसी भी संस्था या संगठन के साथ संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जायेगा।
 - अपना उद्यम / व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं के लिए ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था हेतु परामर्श दी जायेगी।
 - ऑफ्टर केयर के लिए चयनित युवाओं को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा किशोर न्याय निधि से नियमानुसार एकमुश्त अनुग्रह राशि स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
- 2.9.2 मेंटर द्वारा सभी युवाओं को नौकरी डॉट कॉम, देवनेटजॉब्स, जैसे विभिन्न जॉब प्लेसमेंट पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.10 स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा :--

सभी युवाओं को मेंटर द्वारा आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत नियमित स्वास्थ्य जाँच और लाभ, पेशेवर डॉक्टरों / अस्पतालों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य देखरेख, सहायता और परामर्श सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

2.11 मानसिक स्वास्थ्य :-

- 2.11.1 आवश्यकतानुरूप युवाओं को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा। मानसिक स्वास्थ्य देख—रेख के लिए बाल देख—रेख संस्थानों के विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा युवाओं और उनके परिवार का आकलन कर ऑफ्टर केयर योजना बनाना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक चिकित्सा, परामर्श, व्यवहार सुधार चिकित्सा और मनोरोग सहायता सिहत सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए रेफरल संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सूची प्रदान की जायेगी। मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता निवारक और मेंटर मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियों, युवाओं के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप, परामर्श सहयोग, परामर्श हस्तक्षेप, समूह बातचीत, अध्ययन की आदत का निर्माण, लक्ष्य उन्मुखीकरण गतिविधी आदि की शुरुआत कर सकते हैं।
- 2.11.2 युवा यदि किसी दबाव के कारण निराशा, अवसाद और तनाव का सामना करते हैं तो उन्हें तनाव से निपटने के लिए आवश्यक परामर्श दिया जायेगा।
- 2.11.3 संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा राँची में स्थित केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान और रिनपास से तालमेल कर उनकी सेवा ली जायेगी। अनुरोध पर केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान और रिनपास के

विशेषज्ञ बाल देख—रेख संस्थान का भ्रमण कर चयनित बच्चों का आकलन और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहयोग करेगी।

2.12 स्वतंत्र जीवन यापन कौशल :--

राज्य या संस्थागत सहयोग के बिना आत्मिनर्भरता और स्वतंत्र जीवन यापन को प्रोत्साहित करने के साथ—साथ युवाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसमें निर्धारित जीवन कौशलों के अतिरिक्त घर और वित्तीय प्रबंधन, भविष्य के लिए बचत, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, तनाव प्रबंधन, उपलब्ध सामाजिक, विधिक और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, यौन शिक्षा, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, विवादों का निपटान, बैंक खातों का स्वतंत्र रूप से संचालन, मानव अधिकार, जागरूकता आदि विषयों पर सत्र शामिल होंगे। ऐसे सत्रों का आयोजन बाल हित में काम करने वाली संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

विधिक सेवाओं का लाभ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लिया जा सकता है। विधिक सहायता के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान किया जायेगा।

एक महिला युवा को उसके अध्ययन/रोजगार के लिए महिला/कामकाजी महिला छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता के लिए झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा अनुशंसा किया जायेगा।

2.13 विधिक सहायता साक्षरता एवं परामर्श :--

विधिक सेवा संस्थान के माध्यम से आवश्यकतानुरूप निम्नलिखित विधिक सहायता सुनिश्चित की जाएगी—

- युवाओं की व्यक्तिगत एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा।
- विधि विवादित बच्चों के किशोर न्यायालय, बाल न्यायालय, अन्य न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन हेतु विधिक सहायता।
- युवाओं को समय-समय पर विधिक साक्षरता एवं परामर्श प्रदान करना।
- युवाओं को उनके अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी।

2.14 मेंटर सपोर्ट :--

'मेंटर' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है, जो मुख्यधारा और स्वावलम्बी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की स्वैच्छिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।

'मेंटर' मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, किशोर न्याय (बालको की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में परिभाषित केस वर्कर, पैरा लीगल वोलेन्टीयर, बाल संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव वाले स्वयंसेवक, जेएसपीएलएस के ग्राम संगठन के सदस्य / सीआरपी (Community Resource Person), निबंधित गैर सरकारी संस्थायें आदि हो सकते हैं।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मेंटर्स की पहचान कर उनके माध्यम से युवाओं को बुनियादी आवश्यकताओं का आकलन कर तदनुसार योजना तैयार की जायेगी और परामर्श सहायता, भावनात्मक सहयोग आदि प्रदान की जायेगी।

पैरा लीगल वालंटियर और विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी को विधि विवादित बच्चों के लिए मेंटर्स की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही ऐसे स्वयंसेवी संस्था जो व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवा प्रदान करते हैं उन्हें मेंटर' के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। उपलब्ध पूर्व ऑफ्टर केयर लीवर को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई प्रति जिला न्यूनतम 03 'मेंटर्स' का चयन करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई मेंटर द्वारा की जा रही कार्यों के विवरण के साथ मेंटर की आवश्यकता के 03 माह पूर्व बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय को नामों की सूची उपलब्ध करायेगी एवं नाम के निर्णय के अनुरूप युवाओं के लिए मेंटर नियुक्त किया जायेगा।

2.15 सामाजिक सहयोग हेतु ऑफ्टर केयर नेटवर्क का गठन :--

प्रत्येक युवाओं के लिए मुख्यधारा में शामिल होने के लिए उन्हें सामाजिक नेटवर्क स्थापित करने, मेंटरशिप आदि के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जायेगा।

ऑफ्टर केयर लीवर (Care Leavers) का नेटवर्क केयर लीवर के समर्थन तंत्र को मजबूत करने के साथ उनकी सामाजिक पुनर्संगठन प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। इस तरह के नेटवर्क का उद्देश्य ऐसे युवा वयस्कों की देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवश्यकता—आधारित सहायता और पुनर्वास में सहयोग करना होगा।

ऑफ्टर केयर लीवर आपसी समन्वय एवं सहयोग द्वारा भावी जीवन की रूपरेखा तय करने हेतु अपने नेटवर्क का निमार्ण कर सकते हैं।

अध्याय 3 – ऑफ्टर केयर की प्रक्रियाएं

क्र.	चरण	बच्चे की उम्र	प्रमुख गतिविधियाँ
1	संस्था के बाहर जीवन की तैयारी	जल्द से जल्द या 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् या परिस्थितिजन्य	 घर वापसी। व्यक्तिगत देख-रेख योजना (आईसीपी) में जीवन कौशल शिक्षण का समावेश। बच्चे के मूल परिवेश के आधार पर आवश्यक तैयारी।
2	स्वतंत्र रूप से जीने की तत्परता का आकलन	17 से 18 वर्ष	 व्यक्तिगत आकलन और आईएसीपी। बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय द्वारा आईएसीपी का मूल्यांकन और अनुमोदन। सीसीआई द्वारा स्वतंत्र समायोजन योग्यता का त्रैमासिक आंकलन और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषण। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा ऑफ्टर केयर हेतु पात्र बच्चों का चयन और ऑफ्टर केयर सेवा की तैयारी। बच्चे के घर वापसी की तैयारी।
3	ऑफ्टर केयर सेवा	18 से 21 वर्ष	 गैर संस्थागतः घर वापसी। वित्तीय सहयोग। स्वतंत्र जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, जीवन कौशल रोजगार, सुविधा और अधिकार, परामर्श, मानसिक संबल और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता। अनुवर्ती सेवा। संस्थागतः वित्तीय सहयोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, जीवन कौशल, रोजगार, सुविधा और अधिकार, मानसिक संबल के लिए सेवाओं की उपलब्धता। स्वतंत्र जीवन यापन हेतु प्रोत्साहित करना। अनुवर्ती सेवा।
4	अनुवर्ती सेवा	21 से 23 वर्ष	आवश्यक अनुवर्ती सेवा के माध्यम से युवा के स्वतंत्र जीवन यापन की शैली का नियमित अनुश्रवण एवं आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन।

3.1 ऑफ्टर केयर में प्लेसमेंट पूर्व सेवाएं :--

- 3.1.1 बाल देख—रेख संस्थान द्वारा ऑफ्टर केयर सेवा हेतु पात्र बच्चों की पहचान तथा योजना निर्माण बच्चे की व्यक्तिगत देख—रेख योजना (आईसीपी) के आधार पर 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद जल्द से जल्द जिला बाल संरक्षण इकाई के सरंक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देखरेख) के निगरानी में प्रारंभ किया जायेगा।
- 3.1.2 जिला बाल संरक्षण इकाई के सरंक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देख-रेख) के द्वारा बाल देख-रेख संस्थान में रहने वाले 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी बच्चों का उस समय से एक वर्ष के अंदर उनके स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने की तैयारी का आकलन कर पुनर्वास योजना तैयार की जायेगी। ये आकलन व्यक्तिगत देख-रेख योजना के अभिन्न अंग होंगे। इसे बच्चे के परामर्श से तैयार कर समुचित आकलन हेतु बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएगें। बाल देख-रेख संस्थान त्रैमासिक ऐसे युवाओं की सूची तैयार कर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को ऑफ्टर केयर के अंर्तगत सहायता प्रदान करने हेतु भेजेंगे।

- 3.1.3 जिला बाल संरक्षण इकाई सामाजिक कार्यकर्ताओं, आउटरीच कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के साथ—साथ बाल संरक्षण समितियों के द्वारा परिवार आधारित वैकल्पिक देख—रेख व्यवस्था में संरक्षित ऑफ्टर केयर के पात्र बच्चों की पहचान करेगा। यदि कोई परिवार ऑफ्टरकेयर के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड, सभी का फोटो, आय प्रमाण पत्र, अगर बच्चा कभी संस्थागत देख—रेख व्यवस्था में रहा है तो उसके प्रमाण के साथ एक लिखित आवेदन देना होगा। बच्चे के विशेष परिस्थिति संबंधी दस्तावेज यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी संलग्न की जा सकती है।
- 3.1.4 प्रत्येक युवा के लिए एक व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना (आईएसीपी) तैयार की जायेगी, जिसकी समीक्षा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा अर्द्धवार्षिक रूप से युवाओं संग परामर्श कर की जायेगी। व्यक्तिगत आईसीएपी का निर्माण इस दिशानिर्देशों के अनुलग्नक—1 में संलग्न प्रपत्र के अनुरूप किया जायेगा।
- 3.1.5 संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देखरेख) / विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा बाल देख—रेख संस्थानों द्वारा अनुशंसित बच्चों की पात्रता निर्धारण हेतु संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर अंतिम सूची अनुमोदन के लिए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। वे व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना के साथ बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय को प्रस्तुत कर उनसे बच्चे को ऑफ्टर केयर में प्लेसमेंट के लिए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। आइएसीपी को मेंटर / जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित युवाओं की व्यक्तिगत संचिका में संधारित किया जायेगा।

बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा प्लेसमेंट आदेशः ऑफ्टर केयर कार्यक्रम में प्लेसमेंट संबंधी सभी आदेश बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के स्तर से निर्गत किए जाएंगे जो उनकी स्वतः संज्ञान अथवा परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अथवा बाल देख—रेख संस्थान द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर हो सकते हैं।

बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय के द्वारा युवाओं की सहमति लेने के लिए उनका साक्षात्कार लिया जायेगा। व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय के लिए सबसे उपयुक्त ऑफ्टर केयर सेवा तय करेंगे।

- 3.1.6 बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे को ऑफ्टर केयर कार्यक्रम से जोड़ने के लिए किशोर न्याय (बालको की देख—रेख और संरक्षण) नियम, 2017 के फॉर्म 37 में एक आदेश निर्गत किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी, जो वास्तविक प्लेसमेंट, वित्तीय सहायता और युवाओं की निगरानी सुनिश्चित करेगी।
- 3.1.7 बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय द्वारा घोषित वैसे 'उपयुक्त सुविधा' जिनका संचालन दिव्यांगजनों अथवा दिव्यांगजनों के अभिभावकों के निबंधित समूह द्वारा की जा रही है, उन्हें ऑफ्टर केयर सेवा प्रदाता संस्था के रूप में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 3.1.8 ऑफ्टर केयर सुविधा में प्रत्येक युवा की प्रगति की निगरानी मेंटर द्वारा की जायेगी।
- 3.1.9 किसी भी आवासीय सुविधा में ऑफ्टर केयर सहायता प्राप्त करने वाले युवाओं को मेंटर द्वारा आवश्यक नियमों और अनुशासन संबंधी जानकारी दी जायेगी।
- 3.1.10 राज्य के सहयोग के बिना स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू करने वाले अथवा अपने परिवारों में वापस आने वाले युवाओं को उनकी सहमित से आईएसीपी के अनुरूप न्यूनतम दो वर्षों के लिए प्रगति और मुख्यधारा के संदर्भ में बाल संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत) द्वारा ट्रैक किया जायेगा।
- 3.1.11 परिवारों में वापसी के आदेश किशोर न्याय (बालको की देख—रेख और संरक्षण) नियमावली 2017 के प्रपत्र— 44 में संबंधित प्राधिकार द्वारा किए जाएंगे।
- 3.1.12 उन सभी मामलों के लिए जहाँ युवा स्वतंत्र रूप से रहता है या अपने परिवार में वापस आ गया है, उन्हें आईएसीपी के आधार पर किशोर न्याय निधि / मिशन वात्सल्य के अंर्तगत अनुमान्य वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

- 3.1.13 उन सभी मामलों में जहाँ युवा स्वतंत्र रूप से रहते हैं या अपने परिवारों में वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियों में बदलाव के कारण यदि उन्हें ऑफ्टर केयर सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो उस मामले पर विचार करने के लिए युवा जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल देख—रेख संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ऑफ्टर केयर से संबंधित ऐसे मामलों को झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संज्ञान में लेकर आवश्यकता अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है।
- 3.2 ऑफ्टर केयर में प्लेसमेंट के बाद की सेवाएं :-
- 3.2.1 अनुदान जारी करनाः बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय से मामले की मंजूरी के उपरांत सहायता राशि नियमानुसार सीधे युवा के डाकघर खाता / बैंक खाते / ऑफ्टर केयर प्रदाता के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।
- 3.2.2 बौद्धिक दिव्यांगजनों के मामले में दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय न्यास के अंर्तगत गठित लोकल लेवल किमटी के द्वारा नियुक्त लीगल गार्जियन बौद्धिक दिव्यांग युवा के साथ संयुक्त खाता का संचालन करेंगे। ऑफ्टर केयर प्रदाता संस्थान के अधीक्षक को बौद्धिक दिव्यांग युवा के मेंटर और लीगल गार्जियन के रूप में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 3.2.3 जिला बाल संरक्षण इकाई ऑफ्टर केयर सेवा प्रदाताओं की सूची बनायेगी एवं संबंधित विभाग / सेवा प्रदाता से आवश्यकतानुरूप समन्वय स्थापित करेगी।

3.3 अनुवर्ती सेवा, पर्यवेक्षण और निगरानी :--

- 3.3.1 बच्चे की प्रगति को ट्रैक करनाः मेंटर/एसीओ ऑफ्टर केयर में रखे गए प्रत्येक युवा के लिए अलग—अलग संचिका का संधारण करेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के सरंक्षण पदाधिकारी (संस्थागत / गैर—संस्थागत देखरेख) / विधि—सह—परिवीक्षा पदाधिकारी तत्संबंधित ऑफ्टर केयर सेवा केन्द्रों का त्रैमासिक दौरा कर युवाओं की सामाजिक, व्यवसायिक और शैक्षणिक प्रगति का आकलन कर प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक—2 के आधार पर तैयार करेंगे। वे युवाओं को आवश्यक और उचित सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति का आकलन कर उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेंगे। युवाओं के साथ बातचीत कर उनकी प्रगति पर चर्चा करेंगे। भ्रमण के दौरान वे युवाओं के सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य वातावरण और उस स्थान के रख—रखाव आदि का भी पर्यवेक्षण करेंगें। प्रत्येक समीक्षा और मूल्यांकन के पूरा होने के बाद उनके द्वारा भ्रमण संबंधी सभी रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे।
- 3.3.2 बाल कल्याण सिमति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा ऑफ्टर केयर में युवाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक मेंटर/एसीओ युवाओं की प्रगति का नियमित रूप से आकलन हेतु स्वयंसेवकों, समुदाय प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल करते हुए एक निगरानी सिमति का गठन करेंगे।
- 3.3.3 मेंटर्स / एसीओ जिला बाल संरक्षण इकाई को भी सूचित करेंगे कि क्या उन्होंने युवाओं के प्लेसमेंट के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और किसी भी नागरिक / सामाजिक संगठन के साथ कोई संपर्क स्थापित किया है।

3.4 वित्तीय मानदं और सहयोग :--

मिशन वात्सल्य अथवा प्रभावी अन्य योजना के मानदंडों के अनुरूप वित्तीय सहायता (संप्रति ४०००.००रू प्रतिमाह) प्रदान की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा ऑफ्टर केयर के लिए छात्रावास, निजी लॉज अथवा सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था में चयनित युवा को 25000.00 रूपये की अतिरिक्त एकमुश्त प्रारंभिक राशि का भुगतान झारखण्ड किशोर न्याय निधि योजना से किया जाएगा। इस राशि का उपयोग संबंधित युवा आवास स्थल पर मूलभूत सुविधा की व्यवस्था आदि के लिए की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त ऑफ्टर केयर के लिए चयनित युवाओं को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा किशोर न्याय निधि से नियमानुसार एकमुश्त अनुग्रह राशि स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

राज्य सरकार मिशन वात्सल्य के अंर्तगत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त सरकार के अन्य विभागों द्वारा युवाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से जुड़ाव सुनिश्चित कर उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। संबंधित मंत्रालय / विभाग— आवास, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, खेल, युवा मामले, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण आदि से संबंधित हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त:—

- 3.4.1 एसीओ आईएसीपी के अनुसार युवाओं के आकलन और विशेष जरूरतों के आधार पर युवाओं के लिए बाह्य स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वतंत्र होगा। अतिरिक्त संसाधन का विवरण भी बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 3.4.2 झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था ऑफ्टर केयर संस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है अथवा इसके लिए अलग से परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकती है।

3.5 ऑफ्टर केयर सेवा की समाप्ति :--

निम्नलिखित परिस्थितियों में मेंटर्स / एसीओ जिला बाल संरक्षण इकाई को युवाओं की ऑफ्टर केयर सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा कर तत्संबंधी प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। प्राप्त तथ्यों और विवरणों के सत्यापन के पश्चात् जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंतिम समाप्ति आदेश निर्गत करने की अनुशंसा बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय को प्रेषित करेगा। ऑफ्टर केयर सेवाओं की समाप्ति का प्रस्ताव / अनुशंसा का आधार निम्नलिखित हो सकता है :--

- बिना सूचना और स्वीकार्य कारण के लगतार 7 दिनों से अधिक समय तक संस्थान से अनुपस्थित रहना।
- यदि युवा को 21 वर्ष की आयु से पहले उपयुक्त रोजगार और रहने के लिए जगह मिल गई हो।
- पेशकश के बाद देख-रेख कार्यक्रम में रुचि की कमी प्रदर्शित करने वाला युवा।
- नियमित रूप से नियमों और विनियमों को तोडना।
- अन्य निवासियों के साथ सहयोग नहीं करना और / या उनके साथ लगातार विवाद करना।
- अगर लड़की / लड़के की शादी हो जाती है।
- यदि चयनित युवा पर कोई नया आपराधिक मामला दर्ज होता है।

अध्याय 4 — हितधारकों / प्राधिकरणों और एजेंसियों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

4.1 महिला, बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का उत्तरदायित्व :--

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड राज्य में पश्चात्वर्ती देखभाल के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगी और ऑफ्टर केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना अथवा समय—समय पर निर्मित अन्य केन्द्र / राज्य योजना के माध्यम से बजटीय सहायता उपलब्ध करायेगी तथा आवश्कतानुरूप नीति निर्णय करेगी।

4.2 झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की भूमिका और उत्तरदायित्व :-

- ऑफ्टर केयर सेवा से संबंधित मानकों, सेवाओं और संस्थाओं की नियमित अणुश्रवण करेगी।
- ऑफ्टर केयर में युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के अनुसंधान, डेटा संग्रह और प्रलेखन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों और विशेषज्ञों को सहयोग देगी और समय—समय पर संगोष्टियों और सम्मेलनों के माध्यम से ऑफ्टरकेयर पर संवाद और चर्चा को प्रोत्साहित कर सकेगी।
- ऑफ्टर केयर को बढ़ावा देने के लिए रणनीति और परियोजना प्रस्ताव तैयार करेगी।

4.3 झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका और उत्तरदायित्व :-

- युवाओं की शिकायतों का विधिवत संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण करना।
- युवाओं के लिए विधि सहायता और साक्षरता कार्यशालाओं के लिए झालसा / डालसा के साथ समन्वय करना।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के नियंत्रण में युवाओं के अधिकारों की शिकायतों की जांच करना और संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना।
- युवाओं के हितार्थ राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

4.4 बाल देख-रेख संस्थानों की भूमिका और उत्तरदायित्व :--

- संस्थागत या गैर—संस्थागत बाल देख—रेख सेवा प्रदाता किशोर न्याय (बालको की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 39 और धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार 17 वर्ष की आयु के बच्चों की एक सूची और मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करेगा। एक वर्ष की समयाविध में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए बच्चे की तत्परता को समझने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) नियम, 2017 के फॉर्म 14 में निर्धारित प्रारूप और बाल देख—रेख संस्थान से ऑफ्टर केयर के लिए सुचारु रूप से परिवर्तन के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं संबंधी प्रतिवेदन तैयार करेगा।
- आकलन प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक युवा के लिए व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना (आईएसीपी) तैयार कर इसे बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करना और इसका क्रियान्वयन करना।
- प्रत्येक बाल देख—रेख संस्थान बच्चे / युवाओं के रिलीज के बाद की अनुवर्ती योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करेंगे और नियमित अनुवर्ती कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वे सभी युवाओं से नियमित संपर्क बनाए रखेंगे तािक यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी किठन परिस्थिति में वापस न आएं।
- युवा के 18 वर्ष की आयु पूर्ण के होने से तीन माह पूर्व बच्चों के व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना के साथ अनुमोदित सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रिम रूप से जमा करना।

4.5 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका और उत्तरदायित्व :-

जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) क्रमशः संस्थागत और गैर—संस्थागत देख—रेख से संबंधित बच्चों के चयन का दस्तावेजीकरण करेंगे। इसके अतिरिक्तः—

- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर मेंटर्स की सूची बाल बल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय को अंतिम चयन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- वे व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगें।
- नियमित रूप से युवाओं की प्रगति का आकलन करेगी और युवाओं का समुदाय में पुनर्समेकन की सुविधा प्रदान करेगी।
- संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देखरेख) / विधि—सह—परिवीक्षा पदाधिकारी एक समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे जिसे झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के साथ साझा करेगें।
- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय से बच्चों के रिलीज / डिस्चार्ज संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर ऑफ्टर केयर में स्थापन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
- संरक्षण पदाधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से ऑफ्टर केयर के दौरान युवाओं की प्रगति ट्रैक करना एवं उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- संरक्षण पदाधिकारी (गैर—संस्थागत देखरेख) द्वारा युवाओं के ऑफ्टर केयर सेवा समाप्त होने पर उनका दस्तावेजीकरण करना।

4.6 बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय की भूमिका और उत्तरदायित्व :-

- झारखण्ड किशोर न्याय (बालको की देख—रेख और संरक्षण) नियम 2017 के नियम 19 को ध्यान में रखते हुए जाँच करना और नियम के प्रारूप 37 में ऑफ्टर केयर में प्लेसमेन्ट हेतु आदेश जारी करना। आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को प्रेषित करना।
- व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जाँच और अनुमोदन, युवाओं के साथ बातचीत कर उनकी राय पर विचार करना।
- सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन प्रतिवेदन और व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना की समीक्षा की गई है तथा मेंटर की नियुक्ति करना।
- युवा विशेष को ऑफ्टर केयर के लिए निधि अनुमान्य नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक देख—रेख व्यवस्था में रहने की अनुमित देना।

4.7 मेंटर की भूमिका :--

- व्यक्तिगत ऑफ्टर केयर योजना के आधार पर चयनित युवाओं को स्वतंत्र जीवनयापन के लिए मानिसक और भावनात्मक रूप से तैयार करना और उन्हें उत्पादक जीवन शैली विकल्प, उचित व्यवहार और सकारात्मक आदतें विकसित करने में मदद करना।
- युवाओं को परामर्श, सेवा प्रदाताओं से जोड़ना, उनका त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक—2 के आधार पर तैयार करना।
- छात्रावास अथवा अन्य आवास के युवाओं से संपर्क बनाये रखना।
 - युवाओं के सकारात्मक गुणों की पहचान कर उसे विकसित करने में उसकी सहायता करना।

- समूह गृह में रहने वाले युवाओं के बीच गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के किसी भी मामले के संज्ञान में आने पर सामाजिक कार्यकर्ता को उसकी जानकारी देना और उसका निदान खोजना।
 - युवाओं के साथ आयोजित सत्रों की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना।

4.8 विधिक सेवा संस्थान की भूमिका और उत्तरदायित्व :-

- युवाओं की व्यक्तिगत एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्यायालय, बाल न्यायालय, अन्य न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन हेतु विधिक सहायता प्रदान करना।
- संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए युवाओं को समय—समय पर विधिक साक्षरता, परामर्श, उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।
- युवाओं को महत्वपूर्ण दस्तावेज यथा आधार कार्ड में परिवर्तन, बैंक खाता, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, जीवन/स्वास्थ्य बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने के लिए आवश्यक जानकारी और संबंधित अधिकारियों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- 5. किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021, झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) नियम, 2017, मिशन वात्सल्य तथा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में परिवर्तन स्वतः इस मार्गदर्शिका में प्रभावी होंगे।

व्यक्तिगत ऑफ्टरकेयर योजना (आईएसीपी) का प्रारूप (इस फॉर्म में 4 भाग हैं: क से घ)

केस वर्कर / कल्याण अधिकारी / विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी का नाम:
आईएसीपी तैयार करने की तिथि
केस नंबर (सीडब्ल्यूसी/जेजेबी/फोस्टर केयर केस फाइल नंबर)
कानून के उल्लंघन वाले में बच्चों के मामले में लागू, एफआईआर संख्या (यदि कोई हो धारा (अपराध का प्रकार),
पुलिस थाने का नाम
संबंधित बोर्ड या समिति का नाम और पता :
प्रवेश की तिथि (यदि युवा सीसीआई / पालन पोषण देख-रेख में):
सीसीआई/ओएच का नामः
सीसीआई में युवा के ठहरने की अवधि (जैसा अनुमान्य हो अंकित करें):
क. ठहरने की अवधि :
ख. बाहर निकलने की तिथि :
संस्थागतीकरण के कारणः
क. माता–पिता की मृत्यु
ख. माता–पिता की दिव्यांगता
ग. माता–पिता का दोषसिद्धि
घ. माता–पिता का अलगाव
ङ दिव्यांगता / एच.आई.व्ही. / एड्स के कारण माता—पिता द्वारा परित्याग
च. गरीबी
छ. माता–पिता / अभिभावक / सौतेले माता–पिता द्वारा दुर्व्यवहार
ज। शैक्षिक सहायता का अभाव
झ। अवैध व्यापार/बाल श्रम/भीख मांगना/नशीली दवाओं का व्यापार
ञ। अन्य (कृपया निर्दिष्ट करना)
ऑफ्टरकेयर में प्रवेश की तिथिः एसीओ का नामःएसीओ

भाग क

क.	व्यक्तिगत	विवरण	(प्रवेश	के	समय	युवाओं	द्वारा	प्रदान	किया	जाना	है	जिसका	सत्यापन	विगत	प्लेसमेंट	की
संचि	वेका से भी	ा की जा	नी है):													

1.	युवा	का	नाम:
----	------	----	------

2	यवाओं	का	संपर्क	विवरण	(मोबादल	और	र्द—मेल	आर्ददी)	
∠.	पुषाणा	971	11997	14411	(TII MI DELITY)	OH (ויי ק	VII 2 (31)	٠

3. आय् / जन्म तिथिः.....

4. लिंगः पुरुष / महिला / उभयलिंगी / लिंग अंकित नहीं करना चाहते हैं:	4. लिगः ।	रुष / महिला / उभयलिगी / वि	लग आकत	नहा करना	चाहत ह	r. ?
---------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------	--------	----------	--------	---------

5. पिता का नाम:.....

6. पिता का संपर्क विवरण:.....

7. माता का नाम:.....

माता का संपर्क विवरणः.....

9. राष्ट्रीयताः

10. घर्म:.....

11. जतिः.....

12.बोली जाने वाली भाषाएँ:.....

13. दिव्यांगता (यदि कोई हो):....

14. दिव्यांगता प्रमाण पत्र? यदि कोई हो,

ख परिवार का विवरण

क्रम संख्या	नाम और संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य स्थिति	मानसिक बीमारी का इतिहास	व्यसन यदि कोई हो
1									
2									
3									

परिवार के सदस्यों के साथ संबंधः

- 1. पिता और माताः सौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं
- 2. पिता और युवाःसौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नही
- 3. माता और युवाः सौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नही
- 4. युवा और भाई-बहनः सौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं
- 5. युवा और दादाः सौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं
- 6. युवा और दादीः सौहार्दपूर्ण / गैर-सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं
- 7. युवा और चाचा (कोई भी रिश्तेदार) : सोहार्दपूर्ण / गैर-सीहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं

 युवा और चाची (कोई भी रिश्तेदार) : सौहार्दपूर्ण / गैर—सौहार्दपूर्ण / ज्ञात नहीं
क्या युवा को उसके परिवार में बहाल किया जा सकता है?:
यदि नहीं, तो कारण अंकित करें:
ग. उपलब्ध दस्तावेज (प्रवेश पर युवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फोटोकॉपी) —
i. आधार संख्याः
ii. पैन नंबर:
iii. वोटर आईडी नंबरः
iv. पासपोर्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)ः
v. दिव्यांगता प्रमाण पत्रः
घ. वित्तीय विवरण (प्रवेश के समय युवा द्वारा इनकी छायाप्रति उपलब्ध कराई जानी है)
i. युवाओं के बचत खाते का विवरण, यदि कोई हो
ii. युवाओं की कमाई का विवरण, यदि कोई हो (युवाओं के अनुसार और विगत प्लेसमेंट से प्राप्त रिकॉर्ड)
iii. संपत्ति / संपत्ति का विवरणयुवा इसके हकदार हैं:
च. शैक्षणिक विवरण / उपलब्धियां (प्रवेश के समय युवा द्वारा इनकी छायाप्रति उपलब्ध कराई जानी है)—
i. अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट —
ii. अंतिम शैक्षणिक संस्थान का नाम जिसमें शिक्षा ग्रहण की गई है—
iii. कक्षा 10वीं की मार्कशीट—
iv. कक्षा 12वीं की मार्कशीट—
v. ग्रेजुएशन की मार्कशीट—
vi. स्नातक डिग्री—
vii. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र —
क.
ख.
छ. किसी हॉबी कोर्स में सर्टिफिकेट—
i.
ii
ज. पुरस्कारों / पदकों का विवरण, यदि कोई हो—
i.
ii
झ. युवा का स्वास्थ्य विवरण—
1. स्वास्थ्य की स्थिति–
क. श्वसन संबंधी विकार— उपस्थित / ज्ञात नहीं / अनुपस्थित
ख. श्रवण दोष – उपस्थित / ज्ञात नहीं / अनुपस्थित

- ग. नेत्र रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- घ. दंत रोग- वर्तमान/अज्ञात/अनुपस्थित
- ङ हृदय रोग– वर्तमान/अज्ञात/अनुपस्थित
- च. चर्म रोग–मौजूद/अज्ञात/अनुपस्थित
- छ. यौन संचारित रोग- वर्तमान/अज्ञात/अनुपस्थित
- ज. रनायु विकार— वर्तमान/अज्ञात/अनुपरिथत
- झ. मानसिक विकार– उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- ञ. शारीरिक विकास– उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
- ट. मूत्र मार्ग में परिवर्तन —मौजूदा / अज्ञात / अनुपस्थित
- ढ / अन्य (कृपया निर्दिष्ट करना) −
 - अस्पताल में भर्ती होने का इतिहास:.....
 - कोई भी तत्काल स्थिति जिसपर ध्यान देने की आवश्यकता है:.....
- 2. क्या युवक को किसी नशे की लत है (यदि हाँ तो विवरण दें)....... अब तक किया गया इलाजः
- ट. मामले के इतिहास और युवाओं के साथ बातचीत के आधार पर, चिंता के निम्नलिखित क्षेत्रों और आवश्यक हस्तक्षेपों पर विवरण दें, यदि कोई हो

क्र.सं.	श्रेणी	आवश्यक सहायता का क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1	युवाओं की ऑफ्टरकेयर से अपेक्षा		
2	स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं		
3	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता		
4	शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता		
5	आराम, रचनात्मकता और खेल		
6	अंतर—व्यक्तिगत संबंध		
7	धार्मिक मान्यताएं		
8	स्व—देखरेख, आत्मरक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण		
9	स्वतंत्र जीवन कौशल, विधि साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन कौशल		
10	रोजगार योग्यता कौशल, इंटर्नशिप और रोजगार		
11	कोई भी महत्वपूर्ण सूचना जिसमें युवा हिंसा, माता-पिता की उपेक्षा, स्कूल / संस्थान में शैतानी आदि में लिप्त रहा हो। (कृपया अंकित करें)		
12	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें		

भाग ख

युवाओं	की	प्रगति	प्रतिवेदन	(प्रथम	तीन	माह	तक	हर	पखवाड़े	में	तैयार	की	जानी	है	और	तदोपरान्त	माह	में	एक
						7	बार तै	यार	किया ज	ना	(ह)								

 प्रतिवेदन की अवधि प्रवेश संख्या युवक का नाम ऑफ्टरकेयर में शामिल होने की तिथिः ऑफ्टरकेयर सपोर्ट की अवधि पूरी होने की तिथि साक्षात्कार का स्थान	١.	मेंटर का नाम
 युवक का नाम ऑफ्टरकेयर में शामिल होने की तिथिः ऑफ्टरकेयर सपोर्ट की अवधि पूरी होने की तिथि 	2.	प्रतिवेदन की अवधि
5. ऑफ्टरकेयर में शामिल होने की तिथिः 5. ऑफ्टरकेयर सपोर्ट की अवधि पूरी होने की तिथि	3.	प्रवेश संख्या
o. ऑफ्टरकेयर सपोर्ट की अवधि पूरी होने की तिथि	ŀ.	युवक का नाम
C.	5.	ऑफ्टरकेयर में शामिल होने की तिथिः
७. साक्षात्कार का स्थानतिथियाँतिथियाँ	6.	ऑफ्टरकेयर सपोर्ट की अवधि पूरी होने की तिथि
	7.	साक्षात्कार का स्थानतिथियाँतिथियाँ

9. प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति जैसा कि नीचे बताया गया है:

8. प्रतिवेदन की अवधि के दौरान युवा का सामान्य आचरण और प्रगति

क्र.सं.	श्रेणी	आवश्यक सहायता का क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1	युवाओं की ऑफ्टरकेयर से अपेक्षा		
2	स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं		
3	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता		
4	शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता		
5	आराम, रचनात्मकता और खेल		
6	अंतर—व्यक्तिगत संबंध		
7	धार्मिक मान्यताएं		
8	स्व—देखरेख, आत्मरक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण		
9	स्वतंत्र जीवन कौशल, विधि साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन कौशल		
10	रोजगार योग्यता कौशल, इंटर्नशिप और रोजगार		
11	कोई भी महत्वपूर्ण सूचना जिसमेंपूर्व में युवा हिंसा, माता-पिता की उपेक्षा, स्कूल / संस्थान में शैतानी आदि में लिप्त रहा हो। (कृपया अंकित करें)		
12	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें		

\sim \sim	_ ^	
प्रतिवदन	का	तारीख

मेंटर का हस्ताक्षर.....

भाग ग

पूर्व-रिलीज प्रतिवेदन (रिलीज होने से 30 दिन पहले तैयार की जानी चाहिए)

- 1. पूर्ण किए गए शैक्षणिक / व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विवरणः
- 2. रिलीज के बाद अनुशंसित आवास का विवरण
 - a. पता-
 - b. मासिक किराया-
 - c. सुरक्षा जमा (यदि कोई हो) -
 - d. भू स्वामी का नाम-
- 3. ऑफ्टरकेयर के दौरान किए गए इंटर्नशिप (यदि कोई हो, तो) का विवरण:
- 4. प्राप्त प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल का विवरण
- 5. ऑफ्टरकेयर छोड़ने के समय युवाओं के जॉब प्लेसमेंट / व्यवसाय / स्टार्टअप का विवरणः
 - a. संस्थान का नाम-
 - b. पदनाम-
 - c. वेतन / कमाई-
 - d. नियुक्ति / शामिल होने की तिथि-
 - e. नौकरी का स्थान-
- 6. युवा का पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन योजना (युवाओं की प्रगति प्रतिवेदन के संदर्भ में तैयार किया जाना)

क्र.सं.	श्रेणी	आवश्यक	सहायता	का क्षेत्र	प्रस्तावित ह	इस्तक <u>्ष</u> ेप
1	युवाओं की ऑफ्टरकेयर से अपेक्षा					
2	स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं					
3	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग की जरूरत					
4	शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत					
5	आराम, रचनात्मकता और खेल					
6	अंतर—व्यक्तिगत संबंध					
7	घार्मिक मान्यताएं					
8	स्व–देख–रेख और जीवन कौशल प्रशिक्षण					
9	स्वतंत्र जीवन कौशल विधि साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन कौशल					
10	रोजगार योग्यता कौशल, इंटर्नशिप और रोजगार					
11	कोई भी महत्वपूर्ण अनुभव जिसमें युवा हिंसा, माता–पिता					
	की उपेक्षा, स्कूल / संस्थान में शैतानी आदि में लिप्त रहा					
	हो। (कृपया निर्दिष्ट करें)					
12	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें					

	_	_			
_		/ 11 311 1 1 1	₽-	-	
1.	14612	/ प्रत्यावतेन	ଫା	ાતાચ	

- 8. युवा के उपलब्ध व्यक्तिगत दस्तावेजों की विवरणी-
 - क. आधार कार्ड
 - ख. पैन कार्ड
 - ग. वोटर आईडी

	घ. पासपोर्ट			
	ङ. दिव्यांगता प्रमाण पत्र			
	च. बीपीएल कार्ड			
	छ. जाति प्रमाण पत्र			
9.	रिलीज के बाद अनुवर्ती कार्र	वाई के लिए पीओ / केस वर्क	र का विवरण	
10.	आवश्यक एकमुश्त सहयोग र	ाशि का विवरण (यदि उपलब्ध	। कराई गई हो, तो)	
11.	रिलीज होने से पहले मेडिकट	न जांच प्रतिवेदन		
12.	कोई अन्य जानकारी			
प्रति	वेदन की तारीख			
मेंट	र का हस्ताक्षर			
		भाग घ		
बच्च	वे की रिहाई के बाद/बहा	ाली की प्रतिवेदन		
i.	रिहाई के बाद बच्चे के साथ	प अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नि	वेन्हित मेंटर पहली बातचीत	प्रतिवेदन
ii.	पुनर्वास योजना के संदर्भ में	की गई प्रगति		
iii.	माता–पिता / विस्तृत परिवार	र/पालक परिवार का युवाओं	के प्रति व्यवहार / रवैया (य	दि कोई हो)
iv.	वैवाहिक स्थिति–			
	क. जीवनसाथी का नाम–			
	ख. विवाह की तारीख–			
v.	युवाओं का सामाजिक परिवे	श, विशेषकर पड़ोसियों / समुव	राय का रवैया	
vi.	युवा अर्जित कौशलों का उप	ग्योग कैसे कर रहा है		
vii.	क्रमशः दो और छह माह	बाद बच्चे के साथ दूसरी और	तीसरी अनुवर्ती बातचीत व	न्न प्रतिवेदन
viii.	पहचान पत्र और मुआवजा	(निर्देशः कृपया मूल दस्तावेजों	के साथ सत्यापित करें)	
į	पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (उपयुक्त विक	ल्प पर सही निशान लगाएँ)	कृत कार्रवाई
	जन्म प्रमाणपत्र	हाँ	नहीं	
	विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र			

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (उपयुक्त विक	ल्प पर सही निशान लगाएँ)	कृत कार्रवाई
जन्म प्रमाणपत्र	हाँ	नहीं	
विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बीपीएल कार्ड			
दिव्यांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मिला मुआवजा			
अन्य			

मेंटर का हस्ताक्षर

एसीओ / मेंटर द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप

- शैक्षणिक स्थिति (यदि बच्चा पढ़ रहा है)
- स्वास्थ्य की स्थिति (किसी भी स्वास्थ्य समस्या के मामले में निर्दिष्ट करना)
- व्यावसायिक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण और स्तर निर्दिष्ट करना)
- रोजगार की स्थिति
- प्रशिक्षण में भागीदारी (जीवन कौशल, आत्मरक्षा आदि)
- युवाओं की सामान्य प्रगति और उसके मनो-सामाजिक विकास का उल्लेख:

डीसीपीयू द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्डः पीओ (आईसी) निम्न रिकार्ड रखेंगे -

- i. ऑफ्टरकेयर योजना के अंर्तगत शामिल युवाओं का मास्टर रजिस्टर, इस रजिस्टर में पूरी प्रक्रिया का विवरण निम्नरूपेण संधारित किया जायेगा :
 - क. प्लेसमेंट की तिथि
 - ख. लिंग
 - ग. प्लेसमेंट के समय बच्चे की आयु
 - घ. माता-पिता की स्थिति
 - ङ. ऑफ्टरकेयर के पूरा होने की तिथि
- ii. ऑफ्टरकेयर में रखे गए प्रत्येक युवा की व्यक्तिगत फाइलः इसमें निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होंगे—
 - क. प्लेसमेंट के समय परिकल्पित व्यक्तिगत देख-रेख योजना ।
 - ख. सीडब्ल्यूसी/जेजेबी/बाल न्यायालय का प्लेसमेंट आदेश।
 - ग. युवों का शैक्षणिक स्तर, व्यावसायिक कौशल स्तर और प्रत्येक यात्रा का महत्वपूर्ण विवरण।
 - घ. देख-रेख योजनाओं के अनुपालन की सीमा और गुणवत्ता के संदर्भ में प्लेसमेंट की प्रत्येक समीक्षा के समय किए गए अवलोकन।
 - ङ. ऑफ्टरकेयर पूरा करने की तिथि और कारण।

ऑफ्टरकेयर समापन चेकलिस्ट

इस प्रक्रिया को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, यदि आवश्यक हो, अधीक्षक और / या परामर्शदाता की उपस्थिति में, युवाओं द्वारा समूह गृह / ऑफ्टरकेयर छात्रावास छोड़ने से पहले पूर्ण किया जाना है। यह एक प्रक्रिया है अतः इसकी प्रविष्टि केसवार की जानी चाहिए।

- 1. व्यक्तिगत ऑफ्टरकेयर योजना (आईएपी) की समीक्षा।
- 2. युवा नौकरी कर रहा है और अच्छी तरह से अपनी आजीविका का प्रबंधन कर रहा है।
- 3. युवा के पास एक सुरक्षित आवास / आश्रय है और जरूरत पड़ने पर वह विकल्प तलाशने में सक्षम होगा।
- 4. युवा को आश्वस्त किया जाता है कि आवश्यकतानुरूप उसकी सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, सहकर्मी सलाहकारों और शिकायत निवारण प्रणालियों तक पहुँच जारी रहेगी।
- 5. युवा स्वयं के वित्तीय एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों और दैनिक जीवन की देख—रेख करने में सक्षम है और उसके पास वैकल्पिक रूप से एक सहयोग प्रणाली है— साथियों/दोस्तों का नेटवर्क और एक सामाजिक जीवन आदि।

प्ररूप 14

[नियम 7 (ii), 13(8)(vi)(ग) (गघ), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69ङ(2), 69 झ(4), 69ञ(1), 69ञ(3)]
पुनर्वास कार्ड
प्र.सू.रि. /मामला सं.
धारा:
पुलिस थाना
अपराध की किस्म : गौण, गंभीर, जघन्य, (विधि के विरुद्ध बच्चे के मामले में)
परिवीक्षा अधिकारी का नाम/बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास एवं स्थापन अधिकारी:
बालक का नाम :
आयु:
लिंग:
पिता का नाम:
माता का नाम:
भर्ती संख्या.
भर्ती की तिथि:
अस्थायी छूट/छूट की तिथि :
वैयष्टिक देखरेख योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाएं–

संकेतक	बालकी देखरेख और बचाव संबंधी अपेक्षाएं
	योजना :
प्रथम मास	
	परिणाम :
	योजना :
_	
दूसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
तासर मास	
	परिणाम :
	योजना :
चौथे मास	
पाप मास	परिणाम :
	्रभारणाम् .

	स्वास्थ्य एवं पोषण
	योजना :
प्रथम मास	परिणाम :
दूसरे मास	योजना : परिणाम :
0.	योजना :
तीसरे मास	परिणाम :
चौथे मास	योजना : परिणाम :
पूर्ण एवं मनौवैज्ञानिक	ь सहायता की आवश्यकता योजना :
प्रथम मास	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :

चौथे मास	
.,	परिणाम :
शिक्षा और प्रशिक्षण	परिणाम .
ाराजा आर प्राराजण	योजना :
	याजना .
प्रथम मास	
	परिणाम:
	योजना :
दूसरे मास	
दूसर मास	परिणाम :
	योजना :
	याजना .
तीसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
चौथे मास	
पाय मास	परिणाम :
	
मौज-मस्ती, सृजन अं	
	योजना :
प्रथम मास	
	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
	
चौथे मास	
संबद्ध और अंतर-वैय	परिणाम :
सबद्ध आर अतर-यय	योजना :
	ત્રાખા .
प्रथम मास	
	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	
£47.1111	परिणाम :

	योजना :
तीसरे मास	
वावर माव	परिणाम :
	योजना :
चौथे मास	
414 414	परिणाम :
स्व-देखरेख और सभी	प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा दुराचार से बचाव के लिए जीवन संबंधी कौशल का प्रशिक्षण
	योजना :
प्रथम मास	
	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
चौथे मास	
	परिणाम :
	स्वतंत्र रुप से जीने का कौशल
	योजना :
प्रथम मास	
71-1-11-11-11	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	
S	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
	परिणाम :

	योजना :
चौथे मास	
	परिणाम :
	मानव दुर्व्यापार, घरेलु हिंसा, माता पिता द्वारा उपेक्षा विद्यालयों में डराना धमकाना आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभव
	जिसने बच्चे के विकास को प्रभावित किया हो ।
	योजना :
प्रथम मास	
	परिणाम :
	योजना :
दूसरे मास	
6	परिणाम :
	योजना :
तीसरे मास	
	परिणाम :
	योजना :
चौथे मास	
	परिणाम :

बालक कों को दी जाने वाली अन्य सेवाएं, जैसे मुआवजा, अन्य फायदे आदि

प्रमाणित मनोविज्ञानी की विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, पुर्नवास कार्ड के साथ संलग्न की जाए। कथित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के कारण और रिपोर्ट की तिथि (अस्थायी छूट/ छूट / या कोई अन्य)

वैयष्टिक देखरेख योजना के कथित पहलुओं की दृष्टि से बच्चे द्वारा की गई समग्र प्रगति।

बच्चे द्वारा स्वीकार्यता तथा अपने कार्यों और उसके परिणामों को समझना।

बच्चे द्वारा सुधार करने की इच्छा ।

बच्चे का व्यवहार और आचरण।

कानून विरोधी कार्य करने पर बाल देखरेख संस्थान में न रखे गए बच्चे के मामले में परिवार या पड़ोसी द्वारा बताया गया कोई अपराध जो बच्चे द्वारा किया गया हो।

हस्ताक्षरकर्ता

कि.न्या.बो./ बा.क.स.

Form 37 [Rule 25(2)]

Order of After Care placement

The child (name)
(date) She/ He is still in the need of care and protection for the purpose of rehabilitation
and reintegration and specifically for (Specify the purpose). She/He is placed in (name of
Mentor/Organization) for providing aftercare. The Mentor/In-charge of the Organization is
directed to admit the child and provide all possible opportunities for her/ his rehabilitation and
reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the
age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The Mentor/in-charge
will send half yearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee/ Juvenile
Justice Board.
The State/ District Child Protection Unit is hereby directed to release Rsper month towards
Aftercare support to the said person for a period of (days/month) and carryout necessary
follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the person

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/ Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/ District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government

Form 44 [Rule 82 (1)]

Release cum restoration order

Ms./Mr. (Name of the Child) son/ daughter of residence	
Case No./ Profile Number who was ordered to be placed in an observation home/placed	lace
of safety/ special home/Children's Home/ by the Juvenile Justice Board/ Children's Court/ C	hild
Welfare Committee under section of the Juvenile Justice (Care	and
Protection of Children) Act 2015, for a term of on the	day
of20	
to be released from the said Institution and supervision and the authority of dur	
the remaining period of stay as reason for discharge).	8
the remaining period of stay as reason for discharge).	
This order is granted subject to the conditions here on, upon the breach of any of which it shall	l be
liable to be revoked.	
Dated	
Signature	
Juvenile Justice Board/ Children's Court/	
Child Welfare Committee Place:	
Conditions:	
1. The discharged person shall proceed to and live under the supervision and authority of	
until the expiry of the period of his stay in Children's Homes or fit facility/ detention in observation home/ specific and the expiry of the period of his stay in Children's Homes or fit facility/ detention in observation home/	ecial
homes/ place of safety unless the remission is sooner cancelled.	
2. He shall not, without the consent of the remove himself from that place or any other place, which	may
be named by the said	السيما
3. He shall obey such instruction as he may receive from the said with regard to punctual regular attendance at school/vocation or otherwise.	and
4. He shall not get involved in any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction.	etion
of	
5. In the event of his committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of stay in	ı the
Institution hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with u	nder
section 97 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015.	
I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/ explained to me and	that
I accept the same.	
(Signature or thumb mark of the released c	hild)
Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name	of
child) and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her release may be revoked	
Certified accordingly that the said child has been discharged on the	

Signature and Designation of the certifying authority i.e. Person-in-charge of the institution